

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक -

प्रकरण क्रमांक -SM-CSH-2026-03796

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरुद्ध "UPTOWN", प्रमोटर-एम.एम.रियल एस्टेट, द्वारा-डायरेक्टर श्री मुरली थौरानी, पता-304, तृतीय तल, एम.एम. सिल्वर प्लाजा, रिंग रोड नं.-01, जिला-रायपुर (छ.ग.)

प्रोजेक्ट-"UPTOWN" पता-पुरैना, जिला-रायपुर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
01/10/2026	— प्रकरण प्रस्तुत। — रजिस्ट्रार, छ.ग. द्वारा प्रतिवेदन दिनांक 10.08.2026 अनुसार यह पाया गया है कि प्रमोटर एम.एम. रियल एस्टेट, द्वारा-डायरेक्टर श्री मुरली थौरानी, पता-304, तृतीय तल, एम.एम. सिल्वर प्लाजा, रिंग रोड नं.-01, जिला-रायपुर (छ.ग.) के प्रोजेक्ट "UPTOWN" पता-पुरैना, जिला-रायपुर (छ.ग.) के संबंध में प्रस्तुत जवाब के अनुसार सोसायटी का गठन किया गया है, परन्तु पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरांत परियोजना के संबंधित सामान्य क्षेत्र (Common Area) तथा आवश्यक हस्तांतरण आबंटितियों की एसोसिएशन/सोसायटी को नहीं किया गया है। भू-संपदा (विनियमन और विकास), अधिनियम 2016 की धारा-17 के अनुसार प्रवर्तक द्वारा सामान्य क्षेत्रों में अविभाजित आनुपातिक अधिकार सहित पंजीकृत हस्तांतरण विलेख निष्पादित कर सामान्य क्षेत्रों का भौतिक कब्जा एवं संबंधित अभिलेख, मानचित्र एवं दस्तावेज आबंटितियों की एसोसिएशन/सोसायटी को सौंपा जाना आवश्यक है, साथ ही धारा-17(2) के अनुसार अधिभोग संबंधी प्रमाण पत्र अभिप्राप्त करने और उपधारा (1) के निबंधनानुसार आबंटितियों को भौतिक कब्जा सौंपे जाने के पश्चात् संप्रवर्तक का यह दायित्व होगा कि वह स्थानीय विधि के अनुसार, सामान्य क्षेत्रों सहित आवश्यक दस्तावेज और रेखांक, यथास्थिति, आबंटितियों के संगम या सक्षम प्राधिकारी को सौंप दे। परन्तु किसी स्थानीय विधि के न होने पर (समापन) प्रमाण पत्र अभिप्राप्त करने के पश्चात् तीस दिनों के भीतर, यथास्थिति, आबंटितियों के संगम या सक्षम प्राधिकारी को सामान्य क्षेत्रों सहित आवश्यक दस्तावेज और रेखांक सौंपेगा का प्रावधान है। रजिस्ट्रार, छ.ग. रेरा द्वारा प्राधिकरण से अनुरोध किया गया कि संबंधित प्रमोटर द्वारा प्रोजेक्ट को दिनांक 19.12.2019 को पूर्णता प्राप्त हो चुकी है। संबंधित प्रमोटर द्वारा अधिनियम की धारा-17 के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। अतः भू-संपदा	

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक -

प्रकरण क्रमांक -SM-CSH-2026-03796

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरुद्ध "UPTOWN", प्रमोटर-एम.एम.रियल एस्टेट, द्वारा-डायरेक्टर श्री मुरली थौरानी, पता-304, तृतीय तल, एम.एम. सिल्वर प्लाजा, रिंग रोड नं.-01, जिला-रायपुर (छ.ग.)

प्रोजेक्ट-"UPTOWN" पता-पुरैना, जिला-रायपुर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
	(विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा-61 के अंतर्गत अनोवदक के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया जाये। प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। अतः प्राधिकरण द्वारा अनावेदक के विरुद्ध दिनांक 19.08.2026 को प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। - प्राधिकरण द्वारा प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट से संबंधित समस्त दस्तावेजों का अवलोकन व अध्ययन किया गया। प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट का कार्य पूर्णता दिनांक 19.12.2019 को प्राप्त किया गया है। छ.ग. रेरा के वेबपोर्टल के अध्ययन व अवलोकन से प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट में सोल्ड इनवेन्ट्री 50 प्रतिशत से कम है। अतः प्रकरण नस्तीबद्ध किया जाता है। - आदेश की प्रति प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अपलोड की जावे। - प्रकरण नस्तीबद्ध कर अभिलेख कोष्ठ में दाखिल किया जावे। सही / - (धनंजय देवांगन) सदस्य सही / - (संजय शुक्ला) अध्यक्ष	